



(☎022-22862703) ई-मेल/e-mail-irw@dae.gov.in

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

परमाणु ऊर्जा विभाग

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY औ. सं. एवं क. अनुभाग IR&W SECTION अणुशक्ति भवन AnushaktiBhavan, छ. शि. म. मार्ग C.S.M. Marg, मुंबई/Mumbai - 400001

सं.No.7/2/2019/**आईआर**एंडडब्ल्य्।R&W/**96**5

जनवरीJanuary202020

कार्यालय जापन OFFICE MEMORANDUM

विषय

सीएचएसएस अंशदान की अनिवार्य कटौती के संबंध में स्पष्टीकरण -

संदर्भ सीएचएसएस नियम सं.13.1.

Subject:

Clarification regarding compulsory deduction of CHSS

Contribution - reference CHSS Rule No. 13.1.

सीएचएसएस नियम सं. 13.1 के अनुसार ऐसे विभाग जिनके मुख्यालय मुंबई में स्थित है उनके नियंत्रणाधीन सभी कर्मचारी और इस योजना से जुड़ने का विकल्प चुननेवालों के लिए इस योजना में अंशदान का भ्गतान करना है।

CHSS Rule No.13.1 states that payment of contribution towards the Scheme is compulsory for all the employees under the control of the Department with Headquarters at Mumbai and who have opted to join the Scheme.

2. सभी कर्मचारियों द्वारा सीएचएसएस के लिए अनिवार्य अंशदान के भुगतान के संबंध में सीएचएसएस नियम सं. 13.1 में निहित प्रावधानों पर स्पष्टीकरण हेतु विभाग में पत्र प्राप्त हो रहे हैं। इस विषय पर दिनांक 22.7.2019 को सीएचएसएस समीक्षा समितिद्वारा विचार किया गया। प्रावधान को और अधिक स्पष्ट करने के लिए इस संबंध में निम्नलिखित स्पष्टीकरण जारी किया जाता है।

References are being received in the Department seeking clarification on the provisions contained in CHSS Rule No.13.1 with regard to compulsory payment of contribution by all employees towards CHSS. The matter was deliberated in the CHSS Review Committee held on 22.7.2019. In this regard the following clarification is being issued to make the provision more clear.

3. प्राथमिक तौर पर सीएचएसएस योजना के तहत कवर किए गए क्षेत्रों में निवास कर रहे परमाणु ऊर्जा विभाग के सभी कर्मचारी / सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है। उनके परिवार के सदस्य भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं यदि वे कर्मचारी / पेंशनर पर पूर्णतः आश्रित हैं और अन्यथा पात्र हैं।

हालांकि, इस योजना का लाभ तभी दिया जाता है जब किसी कर्मचारी/पेंशनर द्वारा योजना से जुड़ने का विकल्प दिया जाता है। योजना से जुड़ने का विकल्प चुनने के बाद इस योजना के प्रति अंशदान अनिवार्य हो जाता है।

Primarily, CHSS is available to all employees/retired employees of the Department of Atomic Energy, residing in areas covered under the Scheme. Their family members can also avail of the Scheme, if they are totally dependent on the employee/pensioner and otherwise are eligible. However, the Scheme is extended only when an employee/pensioner exercises an option to join the Scheme. Once an option has been exercised to join the Scheme, the contribution towards the Scheme becomes compulsory.

4. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है। This issues with the approval of Competent Authority.

्रा. वेंकटेसन G. Venkatesan)

अवर सचिव (आईआरएंडडब्ल्यू) Under Secretary (IR&W)

सभी सीएचएसएस प्रशासनिक प्राधिकारी All CHSS Administering Authority.